न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-152/2015

बीरबलसिंह पुत्र स्व0 नारायणराम जाति जाट निवासी भाऊजी की ढाणी तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1- गीतादेवी पत्नी भगवानसिंह
2- महेन्द्रकुमार पुत्र भगवानसिंह
3- मूलचन्द पुत्र भगवानसिंह

समस्त जाति जाट निवासी भाऊजी की ढाणी तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।

4- रिछपालसिंह पुत्र गंगाराम

5- उप पंजीयक तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।

6- पटवारी पटवार हल्का बाटडानाऊ तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।

7- तहसीलदार तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।

8- दडकी देवी पत्नी
9- हरलालसिंह पुत्र
10-रणजीतसिंह पुत्र
11-सांवरमल पुत्र
12-रामकुमार पुत्र
13-राजेन्द्र पुत्र
14- विजयकुमार पुत्र
15- सुमित्रा पुत्री

नारायण जाति जाट निवासीगण भाऊजी की ढाणी तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।

16- बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बाटडानाऊ तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।

--रेस्पोडेन्टस---

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 6-7-2015 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ ।
---0---

उपस्थिति-

1- श्री नोपाराम जांगिड एडवोकेट- अपीलान्ट
2- श्री प्रभातीलाल एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 4.7.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलान्ट ने योग्य अदालत मातहत में दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही पूर्वज डूंगाराम के वंशज है। डूंगाराम के दो पुत्र गंगाराम व नारायणराम हुये । गंगाराम के पहले पुत्र सन्तान नहीं होने पर उसने अपने छोटे भाई नारायण के पुत्र भगवानसिंह को गोद ले लिया इसके बाद गंगाराम के जायन्दा पुत्र रिछपालसिंह पैदा हो गया । इस प्रकार गंगाराम के वारिसों मे प्रतिवादी सं0-1 से 3 तथा नारायण के वारिसों मे स्वय वादी एवं प्रतिवादी संख्या-8 से 15 हुये । डूंगाराम के वारिसान के कब्जा काश्त एवं खातेदारी की आराजी ख0नं0 185 रकबा 9.9900 हैक्टर, ख0नं0 200 रकबा 0.1500 हैक्टर, ख0नं0 214 रकबा 8.31 हैक्टर कुल किता-3 रकबा 18.4500 हैक ग्राम भाउजी की ढाणी पटवार हल्का बाटडानाऊ में स्थित है। जिसमें 1/2 हि0 का खातेदार गंगाराम व 1/2 हिस्से का नारायणराम थे । गंगाराम की मृत्यु पर उसके विधिक वारिस दत्तक पुत्र व जायन्दा पुत्र, पुत्री व पत्नी थी तथा स्व0 नारायणराम के विधिक वारिस प्रतिवादी सं0-8 से15 व वादी उसके 1/2 हि0 के काबिज खातेदार काश्तकार थे । इसी प्रकार ख0नं0 152 रकबा 4.04 हैक्टर ग्राम खसरा नं. 311 रकबा 4.52 हैक्टर, ख0नं0 586 रकबा 1.87 हैक्टर ग्राम दातरू में स्थित है। जिसमें भी उक्तानुसार हिस्सा है किन्तु प्रतिवादी संख्या-

1 से 3 ने स्व0 नारायण का विरासत का नामान्तरकरण गलत रूप से खुलवाकर अपने नाम दर्ज करवा लिया । भगवानसिंह का सारा रेकार्ड भगवानसिंह दत्तक पुत्र गंगाराम के नाम से बना हुआ है। भगवानसिंह के वारिसान को स्व0 गंगाराम के हिस्से की भूमि में से अपना हिस्सा मिल जाने के बाद इनके मन में बेईमानी आ गई तथा प्रतिवादी सं0-1 से 3 अब स्व0 नारायण के हिस्से में से भगवानसिंह को नारायण का जायन्दा पुत्र बताकर इस आराजी में से अपने नाम नामान्तरकरण खुलवाने की कुचेष्ठा में है । अतः ग्राम बाऊजी की ढाणी की आराजी ख0नं0 185 200 व 214 कुल किता-3 रकबा 18.4500 हैक्टर में वादी व प्रतिवादी सं0-8 से 15 को बराबर बराबर हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । योग्य अदालत मातहत ने नियत तारीख पेशी से पूर्व दिनांक 6-7-2015 को कैम्प कोर्ट बादूसर में रखकर पक्षकारान की अनुपस्थिति में निर्णित कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने अपना निर्णय पारित करने से पूर्व अनेकोनेक महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दूओं की अनदेखी कर अपना निर्णय पारित किया है । प्रकरण प्रतिवादीगण की तलबी में चल रहा था तथा जबाब दावा हेतु दिनांक 25-6-2015 को आगामी पेशी दिनांक 30-7-2015 नियत की गई जिसमें प्रतिवादीगण का जबाब दावा पेश होना था । अदालत मातहत ने आगामी तारीख पेशी दिनांक 30-7-2015 से पहले ही राजस्व लोक अदालत के तहत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बादूसर में वाद को दिनांक 6-7-2015 को ही बिना विधिक प्रक्रिया की पालना किये ही निर्णय कर दिया । जिसमें कैम्प कोर्ट में रखे जाने की अपीलान्ट को कोई सूचना नही दी गई । और अपीलान्ट को बिना सुने पीठ पीछे निर्णय पारित किया है । अदालत मातहत ने वादी का नाम जमाबन्दी में दर्ज नहीं होना मानकर दावा खारिज करने में कानूनी भूल की है। अपीलान्ट को बिना सुने आदेश पारित किया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में निवेदन किया कि अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया अदालत मातहत ने दोनो पक्षों को हाजिर नहीं बताया और जब वादी हाजिर ही नहीं है तो उसका दावा अदम हाजरी में खारिज करना चाहिये उसका निर्णय मैरिट पर नहीं किया जा सकता ।प्रकरण में विद्वान वकील अपीलान्ट ने मैरिट पर बहस न कर केवल मुझे सुना नहीं गया इसी पर बहस करते हुये कहा कि प्रकरण मे आगामी तारीख पेशी 30-7-2015 नियत थी इस नियत तारीख पेशी से पूर्व ही प्रकरण को दिनांक 6-7-15 को कैम्प में रखकर निर्णित कर दिया जबकि हमें कोई सूचना नहीं दी गई ।अतः हमे सुनवाई का अवसर दिया जावे । अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कर प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे तथा सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर निर्णय विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये पारित करने के भी अदालत मातहत को निर्देश दिये जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत मे निर्णय उचित एवं विधिक पारित किया गया है ।कैम्प कोर्ट की सूचना पक्षकारो को दी गई ।यह कैम्प कोर्ट राज्य सरकार द्वारा किये जाने के निर्देश है जिसमें सभी पक्षकारों को आम सूचना से सूचित किया गया है ।अपीलान्ट कैम्प मे स्वयं हाजिर रहे हैं । अपीलान्ट ने अदालत मातहत में दावा विधि विरूद्ध पेश किया है और इस प्रकार के दावे का निस्तारण अदालत बिना किसी इन्तजार के भी निर्णित किया जा सकता है ।विवादित आराजी पैतृक है । प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व0 भगवानसिंह पहले ही स्व0 गंगाराम के गोद चले गये जहा पर उन्होंने गोद पुत्र के सारे हक अधिकार प्राप्त कर लिये अपने दत्तक पिता की आराजी को प्राप्त कर लिया है ।अब भगवानसिंह वादी का सगा भाई है जो गंगाराम के गोद चला गया । विवादित आराजी में 1/2 हिस्सा गंगाराम का व 1/2 हि0

खातेदारी अभी स्व0 नारायणराम के नाम दर्ज है जिसका विरासत का नामा0 दर्ज नहीं हुआ है। राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत प्रकरण को कैम्प बाडूसर मे रखा है । जिसकी आम सूचना दी गई है । अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है। बहस के समर्थन में आरएलडब्लू 2013(1)राज0 पेज-81, आरएलडब्लू 2006(2)राज0 पेज 940 एवं आरआरटी 2001(2) पेज 1223 पेश कर अपील को खारिज करने का निवेदन किया ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत की आदेशिका दिनांक 28-10-2014 में प्रतिवादी सं0-1 से 4 की ओर से श्री महेश शर्मा एडवोकेट हाजिर हुये प्रतिवादी सं0-8, 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की तथा प्रतिवादी सं0-9, 11 से 15 के पुनः सम्मन पेश करने के आदेश दिये इसके बाद मोहर लगाकर ही तारीख पेशी दी गई तथा दिनांक 25-6-2015 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 30-7-2015 दी गई । इससे पूर्व कहीं पर भी तामिल प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई और बिना तामिल प्रक्रिया पूर्ण हुये ही तारीख पेशी से पूर्व ही दिनांक 6-7-2015 को प्रकरण को कैम्प कोर्ट बाडूसर में रखकर वादी की अनुपस्थिति में वाद साबित नहीं होने पर खारिज कर दिया । जबकि दावे में न तो जबाब दावा लिया गया और ना ही तामिल प्रक्रिया पूर्ण की गई ।अदालत मातहत ने विधिक प्रक्रिया पूर्ण किये बिना तारीख पेशी से पूर्व आदेश पारित किया है इस कारण प्रकरण का निर्णय गुणावगुण पर न कर केवल पक्षकारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाये जाने के कारण अपील को स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं तथा विद्वान वकील वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों को भी गुणावगुण के निर्णय पर देखा जाना उचित मानते हैं । यहां पर प्रकरण मे सुनवाई नहीं हुई है ।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विद्वान उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 6-7-2015 खारिज किया जाता है तथा

उप खण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
लक्ष्मणगढ

प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत का अवसर देते हुये प्रकरण में विधिक प्रक्रिया की पालना कर अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 2-8-2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 4.7.2018 को सुनाया गया ।

4/7/18

[illegible]
भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर